भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3405
12.07.2019 को उत्तर के लिए

बाघ परियोजनाएं

3405. श्री बी वाई राघवेन्द्र:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बाघ परियोजनाओं एवं अभयारण्यों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में बाघ रिज़र्व/अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों से विस्थापित जनजातीय लोगों सहित अन्य लोगों के पुन:स्थापन/पुनर्वास के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान पुन:स्थापित लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की सलाह के आधार पर राज्य बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्रों का प्रस्ताव भेजते हैं, जिसे तब एनटीसीए द्वारा "सैद्धान्तिक रूप में" अनुमोदित किया जाता है और अंत में राज्यों को सिफारिश की जाती है जो कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 V के अनुसार बाघ रिजर्व अधिसूचित करते हैं।

राज्यों को निम्नलिखित क्षेत्रों को बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की सलाह दी गई है:

(i) म्हैडी वन्यजीव अभयारण्य (गोवा)
(ii) श्रीविल्लिपुथुर ग्रिज़ल्ड जिएंट स्क्वेरिल / मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य / वरुशानाडु घाटी (तमिलनाडु)
(iii) दिबांग वन्यजीव अभयारण्य (अरुणाचल प्रदेश)
(iv) कावेरी - मलाई-महादेश्वरा हिल्स वन्यजीव अभयारण्य (कर्नाटक)
(v) नंधौर वन्यजीव अभयारण्य (उत्तराखंड)
(vi) भोरमदेव ओ वन्यजीव अभयारण्य (छत्तीसगढ़)
(vii) कार्बी आंगलोंग वन्यजीव अभयारण्य (असम)
(viii) रातापानी वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश)

नए बाघ रिजर्व क्षेत्रों के सृजन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है, और ये क्षेत्र इस प्रकार हैं:

(i) सुनाबेडा वन्यजीव अभयारण्य (ओडिशा)

(ii) गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान (छत्तीसगढ़)

(ग) और (घ) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 ओ (1) (सी) के तहत जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन गतिविधियों और बाघ परियोजना के सामान्य मानक) दिशानिर्देश, 2012"में एक प्रोत्साहन स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास योजना है, जो राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव पर बाघ परियोजना की चल रही केन्द्रीकृत प्रोयाजिहत स्कीम के तहत वित्त पोषित है। जैसा कि 2006 में यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा संशोधित, 2006, की धारा 38 V (5) में अधिदेशित है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने *स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास* की एक प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

विकल्प I – यदि परिवार ऐसा विकल्प देता है तो वन विभाग द्वारा किसी भी स्थान परिवर्तन और पुनर्वास की प्रक्रिया को शामिल किए बिना परिवार को पूरी पैकेज राशि का भुगतान (परिवार के प्रति परिवार को 10 लाख)।

विकल्प II – वन विभाग द्वारा गांव को सुरक्षित क्षेत्रों और बाघ रिजर्व से स्थान परिवर्तन व पुनर्वास करवाना।

(i) विकल्प 1 के मामले में, संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को शामिल करके एक निगरानी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी ताकि ग्रामवासी उन्हें दी गई पैकेज राशि के साथ स्वयं को पुनर्वासित कर सकें। इस संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों में लाभार्थी के नाम पर जमा राशि से अर्जित ब्याज प्राप्त करने के लिए, बाहरी एजेंसियों, अधिमानतः बाहरी एजेंसियों को शामिल करके एक तंत्र भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(ii) विकल्प 2 के मामले में पैकेज (प्रति परिवार) 10 लाख रूपए प्रति परिवार की दर से इस प्रकार है:

(क)	कृषि भूमि की खरीद (2 हेक्टेयर) और उसका विकास	:	कुल पैकेज का 35%
(ख)	अधिकारों का समाधान	:	कुल पैकेज का 30%
(ग)	गृहस्थ भूमि और गृह निर्माण	:	कुल पैकेज का 20%
(घ)	प्रोत्साहन	:	कुल पैकेज का 5%
(ड.)	परिवार द्वारा उपयोग में लाई गई सामुदायिक सुविधाएँ (सामुदायिक सड़क, सिंचाई, पेयजल, स्वच्छता, बिजली, दूरसंचार, सामुदायिक केंद्र, धार्मिक स्थल, दफ़नाने और श्मशान घाट)।	:	कुल पैकेज का 10%

राज्य से एक विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने के आधार पर, उपरोक्त पैकेज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ड.) प्रमुख/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावासों से स्थानांतरित परिवारों की कुल संख्या, राज्यवार, **अनुबंध–I** पर है।

***

अनुबंध-I

'बाघ परियोजनाएं' के संबंध में श्री बी वाई राघवेन्द्र द्वारा दिनांक 12.07.2019 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3405 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बाघ परियोजना की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार पुन: स्थापित परिवारों की संख्या

(दिनांक 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	बाघ रिजर्व का नाम	अधिसूचित प्रमुख क्षेत्र (सीटीएच) में परिवारों की संख्या	बाघ परियोजना की स्थापना के बाद से अधिसूचित प्रमुख क्षेत्र (सीटीएच) से स्थानांतरित परिवारों की संख्या	प्रमुख क्षेत्र के अंदर बचे परिवारों की संख्या (सीटीएच)
1	आंध्र प्रदेश	नागार्जुन सागर-श्रीशैलम	1731	0	1731
2	अरुणाचल प्रदेश	नमदाफा	77	0	77
3	अरुणाचल प्रदेश	पाक्के	0	0	0
4	असम	काजीरंगा	0	0	0
5	असम	मानस	0	0	0
6	असम	नामेरी	0	0	0
7	बिहार	वाल्मीकि	0	0	0
8	छत्तीसगढ़	अचानकमार	3553	249	3304
9	छत्तीसगढ़	इंद्रावती	1440	0	1440
10	छत्तीसगढ़	उदांती-सीतानदी	4877	0	4877
11	झारखंड	पलामू	633	0	633
12	कामलांग	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
13	कर्नाटक	बांदीपुर	0	0	0
14	कर्नाटक	भद्रा	513	431	82
15	कर्नाटक	बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर	396	0	396
16	कर्नाटक	डंडेली-अंशी	3910	0	3910
17	कर्नाटक	नागरहोल	1803	496	1307
18	केरल	परम्बिकुलम	0	0	0
19	केरल	पेरियार	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़	1957	337	1620
21	मध्य प्रदेश	कान्हा	1918	1870	48
22	मध्य प्रदेश	पन्ना	2514	983	1531
23	मध्य प्रदेश	पेंच	0	0	0
24	मध्य प्रदेश	संजय-डुबरी	5137	0	5137
25	मध्य प्रदेश	सतपुड़ा	4110	2772	1338
26	महाराष्ट्र	मेलघाट	6052	2952	3100
27	महाराष्ट्र	पेंच	118	0	118
28	महाराष्ट्र	सहयाद्री	2534	1646	888
29	महाराष्ट्र	तदोबा-अंधारी	1095	455	640
30	महाराष्ट्र	नवेगांव-नगजीरा	0	0	0
31	महाराष्ट्र	बोर	0	0	0
32	मिजोरम	डम्पा	227	227	0
33	ओडिशा	सतकोसिया	157	0	157
34	ओडिशा	सिमलीपाल	287	116	171

35	ओरंग	असम	0	0	0
36	राजस्थान	मुकुंदरा हिल्स	0	0	0
37	राजस्थान	रणथमभोर	1785	1238	0
38	राजस्थान	सरिस्का	2533	650	1883
39	तमिलनाडु	अनामलाई	1738	0	1738
40	तमिलनाडु	कलाकाद-मुंडान्थुरई	527	0	527
41	तमिलनाडु	मुदुमलई	546	19	527
42	तमिलनाडु	सत्यमंगलम	0	0	0
43	तेलंगाना	कवल	2752	0	2752
44	तेलंगाना	अमराबाद	0	0	0
45	उत्तर प्रदेश	दुधवा	1056	0	1056
46	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	0	0	0
47	उत्तराखंड	कॉर्बेट	181	0	181
48	उत्तराखंड	राजाजी	0	0	0
49	पश्चिम बंगाल	बुक्सा	1229	0	1229
50	पश्चिम बंगाल	सुंदरवन	0	0	0
	कुल		**57,386**	**14,441**	**42,398**

******